न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – राजीव, शर्मा, आरएएस

राजस्व वाद संख्या – 115/2014

1. चन्द्रभान
2. जगदीश
3. रामजीलाल | पिसरान लहरीचरन जाति ब्राहम्ण निवासी मडरपुर तहसील भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिये सचिव महोदय
2. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धास 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः– 03.03.2025

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188, आरटीए विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2663 रकवा 0.39 है0 चक नम्बर 03 कस्बा भरतपुर में स्थित है जिसके वादीगण व हिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त नम्बर से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। डिकी हुक्म इम्तनाई दावामी से प्रतिवादी नम्बर 01 को पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी व कब्जे की उक्त भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा न करें व उसमें रास्ते सडक आदि निकालकर भूमि खण्ड को नष्ट भ्रष्ट न करें। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 नकल नक्शा जारी यू.आई.टी पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के जरिये जबाव दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण ने यह कहा की विवादित भूमि पर अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार खसरा नम्बर 2657 में कोई भूखण्ड अथवा रोड निर्मित नहीं है। इसी प्रकार वर्णित खसरा नम्बरान् 2663, 2656 व 2657 में भी कोई प्लानिंग नही हो रही है। वादीगण प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

से पाबंद करा पाने के अधिकारी नहीं है। दावा जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नहीं है तथा दावा काबिल खारिजी है।

इसके उपरान्त पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई ।

1. आया वादीगण स्वंय को हाल ख0न0 2663/0.39 है0 करबा भरतपुर चक न0 3 पर खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।

वादी

2. आया हाल ख0न0 2663/0.39 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 ने इसके नक्शा में रास्ता दर्शित करा दिया है।वादी उसे नल एण्ड वाईड घोषित करा पाने का अधिकारी है।

वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है।

वादी

4. आया ख0न0 2663 पर यू.आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है।

प्रतिवादी

5. आया दिनांक 06.05.14 को कोई धमकी नहीं दी गयी।

प्रतिवादी

6. दादरसी ।

तदुपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी रामजीलाल ने शपथ पत्र पर बयान पेश किये। गवाह उपस्थित नहीं होने से जिरह नहीं हो सकी दिनांक 09.01.2023 को पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत की गई। कई अवसर दिये जाने पर भी गवाह उपस्थित नहीं हुआ तो साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई एवं पत्रावली बहस में नियत की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकीलवादी ने अपने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये नकल जमाबन्दी सम्यत् 2068–2071 का अवलोकन कराया ।

पत्रावली के अवलोकन एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीवाईज निर्णय निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

1. आया वादीगण स्वंय को हाल ख0न0 2663/0.39 है0 कस्बा भरतपुर चक न0 3 पर खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।

वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 से खसरा नम्बर 2663 रकवा 0.39 है0 किस्म बारानी में खातेदार काश्तकार वादीगण दर्ज रिकॉर्ड है। इससे यह तनकी वाहक वादी सिद्ध होती है।

2. आया हाल ख0न0 2663/0.39 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 ने इसके नक्शा में रास्ता दर्शित करा दिया है।वादी उसे नल एण्ड वाईड घोषित करा पाने का अधिकारी है।

वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। नकल नक्शा भरतपुर चक न0 3 के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि वादी के ख0न0 2663 में से रोड नहीं निकाली गयी है। जो रोड निकाली गयी है वह नगर सुधार न्यास की अवाप्त शुदा भूमि से निकाली गयी है। इससे यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है।

वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। चूंकि तनकी संख्या 02 विरूद्ध वादी निर्णित की गई है। इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इससे यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया ख0न0 2663 पर यू.आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है। **प्रतिवादी**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। नकल जमाबन्दी में आ.ख.न. 2663/0.39 है0 वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल नक्शा में भी ख.न. 2663 पर यू. आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है। जो प्लानिंग की गई है वह नगर सुधार न्यास की भूमि में है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी सिद्ध होती है।

5. आया दिनांक 06.05.14 को कोई धमकी नहीं दी गयी।

प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। जबाब दावा में प्रतिवादी द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है। और जब ख.न. 2663 पर यू.आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

जो प्लानिंग की गई है वह नगर सुधार न्यास की भूमि में है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी सिद्ध होती है।

यह है की जब नकल नक्शा से प्रमाणित है कि वादीगण की आराजी 2663/0.39 है0 में से कोई रास्ता दर्शित नहीं है एवं नकल जमाबन्दी में वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।तो ऐसी स्थिति में दावा वादी को खारिज योग्य पाते हैं।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव शर्मा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई

ओ. 20 नि. 6–7 जाप्ता दीवानी

(civil procedure code Append ND-1)

न्यायालय उपखंड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – राजीव शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्या – 115 / 2014

1. चन्द्रभान
2. जगदीश
3. रामजीलाल पिसरान लहरीचरन जाति ब्राहम्ण निवासी मडरपुर तहसील भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिये सचिव महोदय
2. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज तारीख 03.03.2025 को जारी की गई हैं।

(राजीव शर्मा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी भरतपुर